आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, छतरपुर (पलामू)।

....

विविध वाद संख्या–128/2017

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

विमला देवी ------------------ प्रथम पक्ष

बनाम्

लक्ष्मण यादव वगैरह ------------ द्वितीय पक्ष

13.6.17

P.N.-55 21.08.17

P.N. 61 01.09.17

यह प्रक्रिया धारा 144दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत आवेदिका विमला देवी पति इन्द्रदेव यादव ग्राम+पोस्ट+थाना– छतरपुर, जिला–पलामू के द्वारा 1. लक्ष्मण यादव 2. रामा यादव दोनों पिता स्व0 रामनंदन यादव 3. चन्दन यादव पिता स्व0 वासुदेव यादव तीनों ग्राम+पोस्ट+थाना– छतरपुर, जिला–पलामू के विरुद्ध कार्रवाई हेतु आवेदन–पत्र दाखिल किया । उक्त आवेदन पत्र के अलोक में थाना प्रभारी, छतरपुर ने डी0आर0 नं0– 1117/17, दिनांक 16.04.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। जाँच प्रतिवेदन में दोनों पक्षों के बीच उक्त भूमि पर कोई अप्रिय घटना नहीं घट सके तथा शांति बनी रहे इसलिए धारा 144 दं0प्र0सं0 लगाते हुए निरोधात्मक कार्रवाई हेतु निवेदन किया गया है। विवादित भूमि का विवरण मौजा–छतरपुर, खाता सं0–18, प्लॉट सं0–12, रकबा–0.10½ एकड़, चौहद्दीः– उतर– यमुना कुवंर, दक्षिण–भोला यादव, इन्द्रदेव यादव एवं वशिष्ठ नारायण यादव, पुरब–राम गुलाम राम, पश्चिम– यमुना कुवंर एवं मंदीर राम जानकी के विवादित भूमि के उपर

8/95

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रक्रिया कायम करते हुए उभय पक्षों को जाने से रोकते हुए कारण पृच्छा की मांग की गई। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये। प्रथम पक्ष के कारण पृच्छा का सार यह है कि विवादित भूमि आवेदिका को केवाला निबंधन सं0– 2014, दिनांक 14.08.2000 से प्राप्त है। जिसका खाता सं0–18, प्लॉट सं0–12, रकबा–3.75 डी0 है। जिसपर वे शांति पूर्वक दखल कब्जा में है जिसका सरकारी लगान रसिद निर्गत हो रहा है। द्वितीय पक्ष का कथन है कि मौजा– छतरपुर के खाता सं0–18, प्लॉट सं0–12, रकबा– 0.06 $\frac{3}{4}$ एकड़, चौहदीः– उतर– यमुना कवुंर, दक्षिण– भोला यादव, इन्द्रदेव यादव एवं वशिष्ट नारायण यादव, पुरब– रामगुलाम राम, पश्चिम– यमुना कुवंर एवं मंदिर राम जानकी के अंतर्गत भूमि को लक्षमण यादव, वासुदेव यादव दोनों पिता रामनन्दन यादव, ग्राम–रूद, पोस्ट– खजुरी नौडीहा, थाना– छतरपुर, जिला–पलामू ने निबंधित विक्रय–पत्र सं0– 799, दिनांक 03.03.1998 को नान्हु राम, दशरथ राम, रामचंद्र राम, गुंज बिहारी राम, अवध बिहारी राम, से खरीद किये है और खरीदगी भूमि का नामांतरण कराकर सरकारी लगान रसिद निर्गत होते चला आ रहा है। द्वितीय पक्ष का यह भी कथन है कि इस वाद के पूर्व इन्द्रदेव यादव के द्वारा थाना प्रभारी, छतरपुर के समक्ष मुकदमा किया गया था जिसमें थाना प्रभारी, छतरपुर ने अपने अप्राथमिकी सं0– 11/14 के आधार पर विविध वाद सं0– 28/14 इन्द्रदेव यादव बनाम् लक्ष्मण यादव के बीच धारा 144 दं0प्र0सं0 का मुकदमा चला था, जिसमें उभय पक्षों के सुनने के पश्चात् दिनांक 26.08.2014 को वाद प्रथम पक्ष को सिमांकन कराने का आदेश हुआ था, परन्तु उनके द्वारा	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

सिमांकन नहीं कराया गया है। द्वितीय पक्ष का कथन यह भी है कि द्वितीय पक्ष अपने भूमि में मकान का निर्माण कार्य प्रारम्भ करते हैं तो प्रथम पक्ष के द्वारा एक झुठा मुकदमा करके परेशान किया जाता है।

प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निबंधित केवाला की छायाप्रति एवं सरकारी लगान रसीद की छायाप्रति समर्पित किया है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दावे के समर्थन में निबंधित केवाला की छायाप्रति एवं लगान रसीद की छायाप्रति समर्पित किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा संलग्न कारण पृच्छा एवं दस्तावेज का अवलोकन किया। इससे स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष का दावा ठोस दस्तावेजों पर आधारित है जो उनके कारण पृच्छा में अंकित तथ्यों का समर्थन करता है।

अतः निर्गत नियम द्वितीय पक्ष के पक्ष में रिक्त तथा प्रथम पक्ष के पक्ष में निरपेक्ष किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

31/6/17

अनुमंडल दंडाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

31/6/17

अनुमंडल दंडाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।